कार्यालय हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक 255/II/प्रशा0 2(क) 104/2023–24 दिनांक 21/4/2023

प्रतिलिपिः संलग्न शासनादेश संख्या 212(1)/IX–1/2016/2011/2023, दिनांक 17.02.2023 इस आशय से प्रेषित है कि नियमानुसार सम्बन्धित द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

01. उपाध्यक्ष महोदय को उनके आदेश दिनांक 24.03.2023 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. मुख्य वित्त अधिकारी, को सूचनार्थ।
03. समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. सहायक अभियन्ता श्री पंजक पाठक को इस आशय से कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2023 पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 24.03.2023 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। तद्नुसार सूचनार्थ।
05. प्रशासनिक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. सिस्टम एडमिनीस्ट्रेट ह0रू0वि0प्रा0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त शासनादेश को प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
07. गार्ड पत्रावली।
08. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

सचिव

संख्याः 212/ IX–1/2016/2011/2023

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यूँकी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 17 फरवरी, 2023

विषय : राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु वाहन क्रय/अधिप्राप्ति नीति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 169/IX–1/2016/2011/2016 दिनांक 10 मार्च, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विशिष्ट/अति विशिष्ट महानुभावों तथा विभिन्न श्रेणी के ऐसे अधिकारियों जिन्हें शासकीय वाहन अनुमन्य है, के उपयोगार्थ वाहन क्रय/अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2016 निर्गत होने के उपरान्त वाहन निर्माण सामग्री के मूल्य में हुई वृद्धि, अनिवार्य किए गए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों, प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी उच्चीकृत मानकों, स्पेयर पार्ट्स तथा ईंधन के मूल्य में हुई वृद्धि आदि परिस्थितियों के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वाहन क्रय/अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में प्रचलित उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2016 को अवक्रमित करते हुए ऐतद्विषयक अग्रेत्तर प्रस्तरों में यथाउल्लिखित नवीन नीति निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. शासकीय वाहन क्रय हेतु नवीन मानक एवं प्रक्रियात्मक दिशा–निर्देश :

(1) राज्य के विभिन्न श्रेणी के महानुभावों एवं ऐसे अधिकारियों जिन्हें शासकीय वाहन अनुमन्य है, के उपयोगार्थ वाहन क्रय हेतु निम्न तालिका में यथाउल्लिखित श्रेणीवार अधिकतम वाहन क्रय मूल्य अनुमन्य होंगे :–

श्रेणी	महानुभाव/अधिकारी	अधिकतम वाहन क्रय मूल्य (₹ में)	ई–वाहन की दशा में क्रय मूल्य (₹ में)
1	2	3	4
ए	मा. मंत्रीगण, मुख्य सचिव, मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मा. आयोगों के अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, प्रिंसिपल चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (HoFF), महानिदेशक पुलिस, प्रमुख सचिव तथा अन्य समकक्षीय।	25 लाख	35 लाख
बी	सचिव, विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, प्रिंसिपल चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष एवं समकक्षीय।	20 लाख	25 लाख
सी	अपर सचिव, अपर विभागाध्यक्ष, पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपर पी.सी.सी.एफ., जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक एवं समकक्षीय।	18 लाख	20 लाख
डी	विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी, मण्डल/सम्भाग स्तरीय अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष एवं समकक्षीय।	14 लाख	16 लाख
ई	नगर पंचायत अध्यक्ष, जनपद स्तरीय अधिकारी एवं अन्य अधिकारी जिन्हें शासकीय वाहन अनुमन्य हो।	10 लाख	12 लाख

(2) विभिन्न श्रेणी के महानुभावों/अधिकारियों को शासकीय वाहन की अनुमन्यता तथा पदीय समकक्षता (यथा आवश्यकता) निर्धारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा समय–समय पर निर्णय लिए जायेंगे और अनुमन्यता/समकक्षता निर्धारण के सम्बन्ध में विभागीय निर्णय की प्रक्रिया में यह नीति बाधक नहीं होगी।

(3) जब तक अन्यथा उपबन्धित न किया जाए, एक अधिकारी को एक समय पर एक ही स्रोत से वाहन अनुमन्य होगा, भले ही सम्बन्धित अधिकारी के पास एक से अधिक विभाग/पद का प्रभार हो।

(4) उक्त तालिका में यथाउल्लिखित श्रेणी–ए के महानुभावों/अधिकारियों तथा अन्य श्रेणियों के ऐसे महानुभावों/अधिकारियों जिनके पदीय कर्तव्यों की विशिष्ट प्रकृत्ति के दृष्टिगत उनके लिए शासकीय वाहन अपरिहार्य हो, को छोड़कर अन्य श्रेणी के महानुभावों/अधिकारियों के उपयोगार्थ शासकीय वाहन क्रय के स्थान पर वाहन व्यवस्था यथासंभव अगले प्रस्तरों में प्रदत्त प्राविधान के अनुसार बाह्य स्रोत से किराए पर वाहन लेकर (Outsourcing) अथवा किराया प्रतिपूर्ति के आधार पर निजी वाहन उपयोग करने की अनुमति देकर की जायेगी।

(5) विभागों के द्वारा अनुमन्य लागत की सीमा के अन्तर्गत प्रथमतः GEM के माध्यम से वाहन क्रय किए जायेंगे, किन्तु यदि चयनित वाहन मॉडल GEM में उपलब्ध न हो तो यथाप्रक्रिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए क्रय की कार्यवाही/अधिप्राप्ति की जायेगी।

(6) सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्याः G.S.R. 29(E) दिनांक 16 जनवरी, 2023 के द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 52 के पश्चात् नवीन नियम 52(क) अन्तःस्थापित करते हुए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत, राज्य परिवहन उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी स्वायत्त निकाय से सम्बन्धित वाहनों (देश की रक्षा के लिए कार्यात्मक प्रयोजन, आन्तरिक सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रयोजन वाहन–बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन–को छोड़कर) के पंजीकरण की वैधता वाहन के आरम्भिक पंजीकरण के दिनांक से 15 वर्ष निर्धारित करते हुए यह भी प्राविधान किया गया है कि 15 वर्ष की समाप्ति के पूर्व वाहन का पंजीकरण नवीनीकृत किया गया हो तो ऐसा पंजीकरण आरम्भिक पंजीकरण के दिनांक से 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि को रद्द हुआ माना जायेगा।

भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित उक्त नियम के आलोक में इंगित सरकारी विभागों/संस्थाओं/निकायों के अन्तर्गत 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वाहन का संचालन अनुमन्य नहीं रह गया है, अतः नवीन वाहन क्रय हेतु निर्णय लेते समय सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उनके प्रभाराधीन विभाग/संस्था/निकाय में 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वाहन का संचालन नहीं हो रहा है और यदि इस श्रेणी के वाहन उपलब्ध हों तो ऐसे वाहनों को नियमानुसार निस्तारित (Scrap) करते हुए उसके स्थान पर प्रतिस्थानी वाहन के क्रय (यदि उक्त सामान्य निर्देशानुसार प्रतिस्थानी वाहन का शासकीय वाहन होना अपरिहार्य हो) को प्राथमिकता दी जायेगी। ऐतद्विषयक वस्तुस्थिति का स्पष्ट उल्लेख वाहन क्रय सम्बन्धी प्रस्ताव में अवश्य किया जायेगा।

(7) शासकीय वाहन के उपयोगकर्ता को ईंधन की मात्रा सम्बन्धी मासिक अनुमन्यता/ऊपरी सीमा को क्रयशुदा नये मॉडल के वाहनों की प्रति किलोमीटर औसत सम्बन्धी प्रमाणों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा शीघ्र पुनर्निर्धारित किया जायेगा।

4. निजी वाहन उपयोग करने पर किराया प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता एवं मानक :

(1) उक्त प्रस्तर 3(1) में प्रदत्त तालिका में यथाइंगित श्रेणी–ए में वर्गीकृत महानुभावों/अधिकारियों तथा श्रेणी–बी, सी, डी, एवं ई में वर्गीकृत महानुभावों/अधिकारियों में से प्रस्तर 3(4) में यथाउल्लिखित शासकीय वाहन की अपरिहार्यता वाले महानुभावों/अधिकारियों को छोड़कर श्रेणी– बी, सी, डी एवं ई में वर्गीकृत अन्य महानुभावों/अधिकारियों को उनकी वाहन अनुमन्यता के अनुसार निजी वाहन का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। निजी वाहन का उपयोग करने हेतु इच्छुक महानुभावों/अधिकारियों

को मासिक आधार पर किराए की प्रतिपूर्ति की दरें निम्नवत् होंगी :–

श्रेणी	पेट्रोल/डीजल चालित वाहनों हेतु प्रतिपूर्ति की मासिक दर (₹ में)	ई–वाहन हेतु प्रतिपूर्ति की मासिक दर (₹ में)
1	2	3
बी	41,270.00	55,270.00
सी	38,540.00	48,550.00
डी	33,000.00	43,180.00
ई	27,430.00	37,800.00

(2) किराए की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त निर्धारित दरों में ईंधन (पेट्रोल/डीजल) व्यय सम्मिलित नहीं है। श्रेणीवार ईंधन (पेट्रोल/डीजल) की मात्रा सम्बन्धी अनुमन्यता के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा यथानिर्धारित ऊपरी सीमा प्रभावी होगी और उस सीमा के अन्तर्गत माह विशेष के दौरान प्रचलित दर पर ईंधन (पेट्रोल/डीजल) क्रय किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत किए जाने की दशा में सम्बन्धित महानुभाव/अधिकारी को तदनुसार अतिरिक्त ईंधन (पेट्रोल/डीजल) व्यय की प्रतिपूर्ति भी अनुमन्य होगी। निजी वाहन के इलेक्ट्रिक वाहन होने की दशा में अनुमानित रिचार्जिंग व्यय का संज्ञान उक्तानुसार प्रतिपूर्ति दर निर्धारण हेतु ले लिया गया है, अतः इस हेतु पृथक से प्रतिपूर्ति धनराशि देय नहीं होगी।

(3) निजी वाहन का उपयोग करने पर सम्बन्धित महानुभाव/अधिकारी को ईंधन (पेट्रोल/डीजल) की मात्रा की ऊपरी अनुमन्य सीमा शासकीय वाहन की दशा में अनुमन्य की गयी ऊपरी सीमा के समान होना आवश्यक नहीं होगा, वरन् निजी वाहन के सम्बन्ध में अनुमन्य श्रेणी के प्रयुक्त वाहन के प्रति किमी. औसत विषयक उपलब्ध प्रमाणों का संज्ञान लेकर अनुमन्य ऊपरी सीमा को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम भी किया जा सकेगा, किन्तु किसी भी दशा में शासकीय वाहन के सन्दर्भ में नियत ऊपरी सीमा से अधिक नहीं होगा।

(4) निजी वाहन का उपयोग करने वाले महानुभाव/अधिकारी के अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश) पर रहने की दशा में कुल अवकाश अवधि का संज्ञान लेते हुए मासिक किराए की प्रतिपूर्ति अनुपातिक आधार पर की जायेगी।

(5) यदि किसी महानुभाव/अधिकारी को एक से अधिक विभागों/पदों का प्रभार आबंटित किया गया हो और उनमें से किसी भी एक विभाग/पद के सापेक्ष शासकीय/आउटसोर्सिंग के आधार पर वाहन उपलब्ध हो तो ऐसे महानुभाव/अधिकारी को निजी वाहन उपयोग के आधार पर किराए की प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

5. बाह्य स्रोत (Outsourcing) के माध्यम से वाहन किराए पर लेने हेतु मानक एवं प्रक्रिया :

(1) उक्त प्रस्तर 3(1) में प्रदत्त तालिका में श्रेणी–ए के अन्तर्गत वर्गीकृत महानुभावों/अधिकारियों तथा प्रस्तर 4 के अन्तर्गत निजी वाहन के उपयोग की सुविधा से आच्छादित महानुभावों/अधिकारियों को छोड़कर अन्य महानुभाव/अधिकारियों के निमित्त बाह्य स्रोत/आउटसोर्सिंग के माध्यम से किराए पर वाहन उनकी अनुमन्य श्रेणी के अनुसार ही लिए जा सकेंगे।

(2) आउटसोर्सिंग के माध्यम से किराए पर डीजल/पेट्रोल चालित वाहन की अधिप्राप्ति उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अनुसार की जायेगी। इस निमित्त श्रेणीवार किराए की आधार/सन्दर्भ दरें (Basic/Reference rates) निम्नवत् होंगी :–

क्र.सं.	श्रेणी	विभाग द्वारा ईंधन (डीजल/पेट्रोल) की आपूर्ति के साथ किराये की मासिक दरें (₹ में)
1	2	3
1.	बी	48,490.00
2.	सी	44,530.00
3.	डी–ई	31,860.00

(3) उक्त तालिका में उल्लिखित दरें निविदा मूल्यांकन हेतु मात्र आधार/सन्दर्भ दरें हैं और सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अनुसार निविदा करते हुए कार्य की प्रकृति, स्थान आदि कारकों पर विचार करते हुए न्यायोचित दरें निर्धारित की जा सकेंगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा यदि ईंधन सहित (पेट्रोल/डीजल) वाहन किराए पर लिए जाने हेतु कार्यवाही की जाती है तो ऐसी दशा में

उक्त आधार/सन्दर्भ दरों का संज्ञान ईंधन रहित वाहन के सन्दर्भ में ही लिया जायेगा और ईंधन की अनुमन्यता एवं ईंधन की प्रचलित दरों के आलोक में ही ईंधन सहित वाहन की अधिप्राप्ति दर के सम्बन्ध में निर्णय लिए जा सकेंगे। ई–वाहन की बाह्य स्रोत के माध्यम से अधिप्राप्ति हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) देहरादून जनपद के लिए परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में वाहन अधिप्राप्ति समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अपर सचिव, वित्त, राज्य सम्पत्ति अधिकारी तथा अपर/संयुक्त परिवहन आयुक्त, सदस्य होंगे। समिति द्वारा जनपद की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत निविदाएं आमंत्रित कर उक्त निर्धारित सांकेतिक दरों/दिशा–निर्देशों का संज्ञान लेकर जिले के सभी विभागों के लिए वाहनों की अधिप्राप्ति हेतु दरों का निर्धारण किया जायेगा और जनपद के किसी विभाग द्वारा उक्त दरों के आधार पर बाह्य स्रोत से बिना निविदा प्रक्रिया किए वाहन की अधिप्राप्ति की जा सकेगी।

(5) अन्य जिलों के लिए (देहरादून जनपद को छोड़कर) बाह्य स्रोतों से वाहन की अधिप्राप्ति हेतु सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें क्षेत्रीय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी तथा जिले में तैनात एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित वित्त/लेखा सेवा के अधिकारी सदस्य होंगे। समिति द्वारा जनपद की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत निविदाएं आमंत्रित कर उक्त निर्धारित सांकेतिक दरों/दिशा–निर्देशों का संज्ञान लेकर जिले के सभी विभागों के लिए वाहनों की अधिप्राप्ति हेतु दरों का निर्धारण किया जायेगा और जनपद के किसी विभाग द्वारा उक्त दरों के आधार पर बाह्य स्रोत से बिना निविदा प्रक्रिया किए वाहन की अधिप्राप्ति की जा सकेगी।

6. भविष्य में युक्तियुक्त कारणों से उत्पन्न आपवादिक परिस्थितियों में किसी विशिष्ट प्रकरण में यदि उक्तानुसार निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य का वाहन क्रय किया जाना अपरिहार्य हो अथवा इस नीति में किसी प्रकार का अग्रेत्तर परिवर्तन–परिवर्धन किया जाना अपेक्षित हो, तो मा. मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से आवश्यक शिथिलीकरण/संशोधन–परिवर्धन किया जा सकेगा।

7. अतएव, अनुरोध है कि कृपया उक्तानुसार नव निर्धारित मानकों/दिशा–निर्देशों के अनुसार वाहन क्रय/अधिप्राप्ति की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव।

संख्याः 212(1)/ IX–1/2016/2011/2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड को माननीय श्री राज्यपाल के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड को मा. अध्यक्ष, विधान सभा के संज्ञानार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा. मुख्यमत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण, उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. रजिस्ट्रार, मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार जोशी)
अपर सचिव।